झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 10 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री प्रकाश चन्द्र चँदन, [illegible] ग्रा०+पो०-भौंरा, बगोदर, गिरिडीह।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, गिरिडीह।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–10 / 2023

परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन एवं अन्य, ग्राम+पो0–औरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह का परिवाद पत्र दिनांक–27.02.2023 को आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादी द्वारा औरा पंचायत के राशन डीलर कुरबान अन्सारी के विरूद्धमाह दिसम्बर में प्रति यूनिट 2.5 कि0ग्रा0 कम अनाज देने एवं ऑनलाईन में पूर्ण अनाज वितरण दर्ज किये जाने का आरोप लगाया गया है। यह भी कि उनके स्तर से ज्ञात करने पर डोर स्टेप डिलिवरी परिवहन अभिकर्ता के द्वारा डीलर को कम अनाज उपलब्ध कराये जाने की बात सामने आई है। परिवादी द्वारा इससे संबंधित विवरण अपने परिवाद पत्र में अंकित करते हुए कई और राशन वितरको के साथ इस प्रकार का मामला होने का अंदेशा जताया गया है। परिवादी ने इस संबंध में जांच कर कार्रवाई करने तथा पूर्ण राशन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। साथ ही इस अनियमितता में डोर स्टेप डिलिवरी अभिकर्ता समेत अन्य दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु अनुरोध किया है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से भी सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–22.03.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त शिकायत आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–22.03.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

6.3.23

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

06/03/2023

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–10 / 2023

22.03.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह उपस्थित। आज की सुनवाई ऑडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह का एक लिखित प्रतिवेदन मौजूद है, जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि उन्हें भारतीय खाद्य निगम द्वारा आबंटित अनाज से कम अनाज उपलब्ध कराया गया। इस तर्क के विपरीत शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि यदि जिले को कम अनाज उपलब्ध कराया गया था, तो फिर प्रति यूनिट ढ़ाई कि0ग्रा0 कम अनाज दे कर ऑनलाईन मे पूर्ण अनाज वितरण क्यों दर्शाया गया है। इस संदर्भ में जिला आपूर्ति पदाधिकारी से सवाल करने पर उनका कहना है कि हो सकता है कि डीलर ने गलती से ऐसा कर दिया हो।

आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता है। अनाज कम आया या नहीं आया, खाद्य आयोग इसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता। खाद्य आयोग की ये जिम्मवारी है कि हर लाभुक को ससमय अहर्ता के अनुसार अनाज उपलब्ध कराया जाए।

यदि अनाज पिछले कई महिनों से कम दिया जा रहा है तो सवा गुणा हर्जाना और बकाया राशन शिकायतकर्ता को उपलब्ध हो ये भी सुनिश्चित किया जाए। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि शिकायतकर्ता को सभी बकाया अनाज सवा गुणा हर्जाने के साथ 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और ऐसा कर दिए जाने का प्रमाण भेजें अन्यथा आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई कराने को बाध्य होगा।

मामले को अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–25.04.2023 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजे।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

अपरिहार्य कारण से आज की सुनवाई स्थगित की जाती है। सुनवाई की अगली तिथि दि0. 16.05.2023 को निर्धारित की जाती है। उभयपक्ष को सूचित कर दें।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Court Hearing.docx 93

25.4.23

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–10 / 2023

16.05.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई।

इस वाद की ऑडियो कॉल से हुई सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता का कहना है कि आयोग के पिछले आदेश के आलोक में उन्हें हर्जाने के साथ अनाज उपलब्ध करा दिया गया है। किन्तु अपीलकर्ता का कहना है कि उस राशन डीलर के यहाँ अन्य लाभुकों को अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह से इस संदर्भ में पूछने पर उन्होंने कहा कि उस महिने में उन्हें उतना अनाज प्राप्त नहीं हुआ है, जितने की आवश्यकता थी। दूसरी तरफ वे यह भी कह रहे हैं कि वे अनाज नहीं उठा पाये। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को निर्देश देता है कि वे इस संदर्भ में लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से बिन्दुवार अपना पक्ष रखें ताकि यदि राज्य सरकार के स्तर से या केन्द्र सरकार के स्तर से कोई खामी हुई है तो आयोग पत्राचार कर भविष्य में ऐसी गड़बड़ियाँ न हो, यह सुनिश्चित कर पाये। इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।